तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
03/05/24	वकील फरीकेन उपस्थित। वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 10 एवं सहपठित धारा 151 जा0दी0 इस आशय का पेश किया कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में आज की तारीख पेशी नियत है जिसमे हम प्रतिवादीगण ने अपने जबाब दावा की मद संख्या 11 में यह कथन दर्ज किया है कि हम प्रतिवादीगण ने वादीगण के खिलाफ दावा आराजी मुतदाविया के संबन्ध मे अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 आर0टी0 एक्ट का दावा व उनवानी हसनवी वगै0 बनाम जैतूनी वगै0 न्यायालय में पेश किया हुआ है जो इस समय न्यायालय के आदेश को दिनांक 11/07/2019 की निगरानी के सिलसिले में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। सबूत में नकल अर्जी दावा व नकल निगरानी /टीए/4322/2019/भरतपुर व उनवानी हसनवी वगै0 बनाम जैतूनी वगैराह पेश है। नसरू बनाम फजरू वगै0 अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर0टी0 एक्ट एवं हसनवी वगै0 बनाम जैतूनी वगै0 अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 आर0टी0 एक्ट के प्रकरणो में समान पक्षकार समान आराजी मुतदाविया है। जिसके कारण दोनो प्रकरण अलग-अलग रूप से निर्णत नहीं किये जा सकते। हम प्रतिवादीगण का हसनवी बनाम जैतूनी का दावा खातेदारी अधिकारो की घोषणा का है एवं वादीगण का दावा नसरू बनाम फजरू पश्चातवर्ती विभाजन का है। इसलिए मौजूदा वाद पत्र की कार्यवाही को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन निगरानी का निर्णय होकर नसरू बनाम फजरू वगै0 दावा को दफा 10 जा0दी0 में कानून आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौजूदा वाद पत्र की कार्यवाही को हसनवी वगै0 बनाम जैतूनी वगै0 के निगरानी के निर्णय होने तक दफा 10 जा0दी में स्टे किये जाने के आदेश फरमाये जावें। प्रार्थना पत्र की नकल वकील वादी को दी गई। वकील वादी ने जबाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 10 जा0दी0 के अन्तर्गत नहीं आता है। इसलिए प्रार्थना पत्र काननी प्रावधानों के विपरीत पेश किया है। जो काबिले खारिज योग्य है। वादीगण का वाद पत्र नसरू बनाम फजरू न्यायालय श्रीमान में दिनांक 04/10/2012 को पहले प्रस्तुत हुआ ।उसके बाद प्रतिवादीगण का वाद पत्र हसनवी बनाम जैतुनी का	

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 29/12/2012 को प्रस्तुत हुआ जो पश्चातवर्ती वाद पत्र है। इसलिए पश्चातवर्ती वाद पत्र की वजह से पूर्ववर्ती वाद को स्टे नहीं किया जा सकता है। वादीगण का वाद पत्र जिरह साक्ष्य वादी में चल रहा है इसलिए वाद पत्र को किसी प्रकार से स्टे नहीं किया जा सकता । अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र दिनांक 26/03/2024 को खारिज फरमाया जावें। हमने वकील फरीकेन की बहस सुनी व बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न नकल दावा का अवलोकन किया । वाद पत्र उनवानी हसनवी बनाम जैतूनी दिनांक 28/12/2011 को न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है एवं उनवानी वाद पत्र नसरू बनाम फजरू दिनांक 04/10/2012 को न्यायलय में प्रस्तुत हुआ है। ऐसी स्थिति में उनवानी वाद पत्र हसनवी बनाम जैतूनी पूर्ववर्ती वाद है एवं उनवानी वाद पत्र नसरू बनाम फजरू पश्चातवर्ती वाद है। पश्चातवर्ती वाद पत्र नसरू बनाम फजरू को न्यायालय श्रीमान निबन्धक महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन अपील/टीए/4322 /2019/भरतपुर उनवानी हसनवी बनाम जैतुनी के निर्णय होने तक स्टे किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (डीग)	

Scanned with OKEN Scanner